भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1573
(01 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

डीडीयू-जीकेवाई के तहत प्रशिक्षण

1573 # श्री सुभाष बराला:
श्री नारायण कोरागप्पा:
श्री नरहरी अमीन:
श्रीमती दर्शना सिंह:
डा. सुमेर सिंह सोलंकी:
श्री बृज लालः
श्रीमती संगीता यादवः
श्रीमती रमिलाबेन बेचारभाई बारा:
श्री रामेश्वर तेली:
श्री रायगा कृष्णैयाः

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू-जीकेवाई) की मुख्य विशेषताएं और उद्देश्य क्या हैं;
(ख) डीडीयू-जीकेवाई के अंतर्गत प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की राज्य-वार संख्या कितनी है; और
(ग) विगत पांच वर्षों में प्रशिक्षित, मूल्यांकित और नियुक्त किए गए उम्मीदवारों की संख्या का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क) महोदय, दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) 15-35 वर्ष आयु वर्ग के ग्रामीण गरीब युवाओं के नियोजन से जुड़ा कौशल विकास कार्यक्रम है। यह ग्रामीण गरीब युवाओं को रोजगार योग्य कौशल प्रदान कर उन्हें सशक्त बनाता है तथा नियमित श्रम बाजारों में उनकी भागीदारी को सुगम बनाता है, जिससे उन्हें न्यूनतम मजदूरी के बराबर या उससे अधिक मासिक मजदूरी वाले रोजगार उपलब्ध होते हैं।

डीडीयू-जीकेवाई की मुख्य विशेषताएं और उद्देश्य:

- राज्य-संचालित योजना
- कार्यान्वयन का सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल
- प्लेसमेंट-लिंक्ड कौशल विकास कार्यक्रम
- अनिवार्य सामाजिक समावेशन: अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (50%), महिला (33%), और दिव्यांगजन (5%)।
- न्यूनतम 70% नियोजन (न्यूनतम 50% वेतन रोजगार और अधिकतम 20% स्वरोजगार)।
- नियोजित अभ्यर्थियों को न्यूनतम मजदूरी या उससे अधिक के अनुसार वेतन दिया जाता है। नियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पश्चात सहायता एवं प्रतिधारण सहायता।

(ख) इस योजना के अंतर्गत योजना के प्रारंभ से जून 2025 तक प्रशिक्षित अभ्यर्थियों का विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ग) पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इस योजना के तहत प्रशिक्षित , मूल्यांकित और नियोजित अभ्यर्थियों का विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है।

अनुबंध-I

राज्य सभा में दिनांक 01.08.2025 को उत्तर दिये जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 1573 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

डीडीयू-जीकेवाई के तहत योजना की शुरुआत से जून 2025 तक राज्य-वार प्रशिक्षित अभ्यर्थी :

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्रशिक्षित अभ्यर्थी
1	आंध्र प्रदेश	133842
2	अरुणाचल प्रदेश	2315
3	असम	85912
4	बिहार	80409
5	छत्तीसगढ़	59075
6	गुजरात	31933
7	हरियाणा	51656
8	हिमाचल प्रदेश	17657
9	जम्मू और कश्मीर	71307
10	झारखंड	79312
11	कर्नाटक	56371
12	केरल	76694
13	मध्य प्रदेश	91731
14	महाराष्ट्र	68179
15	मणिपुर	7234
16	मेघालय	8615
17	मिजोरम	2844
18	नागालैंड	7778
19	ओडिशा	215409
20	पंजाब	44407
21	राजस्थान	80982
22	सिक्किम	3157
23	तमिलनाडु	77797
24	तेलंगाना	67934
25	त्रिपुरा	12668
26	उत्तर प्रदेश	244528
27	उत्तराखंड	23065
28	पश्चिम बंगाल	44586
29	पुडुचेरी	2431
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	956
कुल		**1750784**

स्रोतः कौशल भारत पोर्टल।

अनुबंध-II

राज्य सभा में दिनांक 01.08.2025 को उत्तर दिये जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 1573 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

डीडीयू-जीकेवाई के तहत पिछले 5 वर्षों और चालू वर्ष के दौरान प्रशिक्षित, मूल्यांकित और नियोजित अभ्यर्थी:

क्रसं	राज्य	वित्तीय वर्ष 20-21			वित्तीय वर्ष 21-22			2022-23			2023-24			2024-25			2025-26 से जून' 25 तक		
		प्रशिक्षित	मूल्यांकित	नियोजित	प्रशिक्षित	मूल्यांकित	नियोजित	प्रशिक्षित	मूल्यांकित	प्रशिक्षित	मूल्यांकित	नियोजित	प्रशिक्षित	मूल्यांकित	नियोजित	प्रशिक्षित	मूल्यांकित	प्रशिक्षित	मूल्यांकित
1	आंध्र प्रदेश	4156	2264	2177	1606	5635	2135	18616	2438	17070	19829	36142	18045	10328	6450	9033	391	30	0
2	अरुणाचल प्रदेश	28	28	33	233	223	71	608	611	295	678	783	315	684	561	265	0	0	29
3	असम	1966	799	3296	3553	4526	916	12532	10071	6817	10615	9600	8571	5231	4893	4127	883	634	44
4	बिहार	2687	1563	2745	7099	7323	2491	11516	10446	9005	6733	6832	7226	1709	1551	1885	0	0	48
5	छत्तीसगढ	1109	415	3683	6499	5790	2883	9742	8527	8484	3045	3007	3958	1170	887	1759	166	146	55
6	गुजरात	240	144	875	830	1100	599	2912	2388	1450	3960	3366	2729	3544	2914	2584	733	349	216
7	हरियाणा	26	26	1213	1772	2142	680	5554	5110	2685	8478	7469	4882	4492	3887	3700	441	376	198
8	हिमाचल प्रदेश	0	0	117	334	625	10	3967	3815	2175	4324	3720	3187	3084	2833	2273	773	381	399
9	जम्मू और कश्मीर	3454	612	1945	2300	4067	1102	5459	3529	2754	1177	1270	1245	1767	793	636	294	185	102
10	झारखंड	1050	307	1879	4035	4274	1354	10228	9229	7343	11340	10863	8157	6607	5490	4911	1427	1078	228

11	कर्नाटक	769	455	1649	1442	2049	673	3757	2974	2813	3795	2457	2656	1797	1199	1914	130	116	277
12	केरल	3053	1545	2931	3219	2303	1097	8623	7457	5224	5212	4836	4078	3052	2746	2572	340	248	215
13	मध्य प्रदेश	903	120	969	6825	8357	3977	15653	12086	11287	12107	12093	10538	5097	4939	4756	1421	761	408
14	महाराष्ट्र	874	373	3319	348	1038	1612	7830	3411	4020	6381	5942	4614	7761	8487	4347	921	335	61
15	मणिपुर	338	135	387	811	739	139	1921	2034	1266	782	490	854	263	352	356	741	746	49
16	मेघालय	83	54	158	456	846	241	2165	1745	1353	1630	1572	1352	1642	1400	761	292	264	173
17	मिजोरम	37	35	88	105	201	94	344	269	349	725	735	499	723	647	474	199	0	70
18	नागालैंड	221	206	278	1009	1255	614	2371	1830	1409	1714	1804	1592	804	779	570	138	161	113
19	ओडिशा	7978	5799	7729	10474	13447	4828	16778	14202	13248	3997	3220	5330	947	707	1095	385	672	2
20	पंजाब	2922	1563	1931	6976	5663	4188	8121	8912	7020	11803	10478	8805	1979	2440	3560	2830	1284	224
21	राजस्थान	981	626	1759	3096	4665	3130	6092	6775	6209	7233	7295	4218	5376	5065	4532	540	398	258
22	सिक्किम	0	0	43	90	88	0	859	741	384	1123	969	720	255	248	393	0	11	0
23	तमिलनाडु	213	100	1286	8228	8527	2941	15225	14370	1064 8	13411	12709	1020 6	5274	4538	4803	750	400	94
24	तेलंगाना	2752	1085	1436	3177	4589	2494	7094	1906	4564	92	973	230	2560	1925	1271	708	63	144
25	त्रिपुरा	21	0	609	1049	848	193	2244	2013	1189	2126	1902	1336	913	643	694	60	107	28
26	उत्तर प्रदेश	1540	524	4068	16898	20489	3765	36567	30662	21921	45215	39060	33458	18080	15237	16245	1366	1291	585
27	उत्तराखंड	367	195	416	3645	4482	917	8248	7058	4409	6026	5598	5306	1894	1659	2821	222	304	109
28	पश्चिम बंगाल	521	448	2544	732	1401	2424	9596	6251	4774	4979	5110	5979	3172	3126	1969	451	239	125
29	पुदुचेरी *	0	0	0	165	323	44	844	780	343	956	1148	919	436	328	444	30	30	3
30	अंडमान निकोबार द्वीप समूह*	-	-	-	0	0	0	133	154	38	547	510	225	242	197	196	34	33	0
कुल		**38289**	**19421**	**49563**	**97006**	**117015**	**45612**	**235599**	**181794**	**160546**	**200033**	**201953**	**161230**	**100883**	**86921**	**84946**	**16666**	**10642**	**4257**

टिप्पणी:

(i) - यह दर्शाता है कि यह कार्यक्रम उस वर्ष में शुरू नहीं किया गया था

*(ii) * यह दर्शाता है कि पुदुचेरी में प्रशिक्षण 2020-21 में और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में 2021-22 में शुरू किया गया था, लेकिन उस वर्ष के दौरान पूरा नहीं किया गया।*

(iii) कुछ राज्यों में कुछ वर्षों में , उस वर्ष के दौरान प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की तुलना में अधिक अभ्यर्थियों को नियोजित किया गया, क्योंकि पिछले वर्ष (वर्षों) के दौरान प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को भी नियोजित किया गया था।